DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE INDIAN EXPRESS, FRIDAY, MARCH 10, 2023 ----------DATED----------

HC puts on hold green tribunal order on pruning trees in Vasant Vihar

New Delhi: The Delhi High Court has put on hold an order of the National Green Tribunal which allowed pruning of trees in Vasant Vihar, in a plea challenging the order and alleging that approximately 800 trees have been "pruned/lopped-off" in the colony.

A single judge bench of Justice Najmi Waziri on March 1 was hearing a plea which had challenged the NGT's January 19 order. The order had allowed for "further pruning of trees" to be carried out by civic authorities concerned — DDA or MCD — in strict accordance with the Delhi Preservation of Trees Act, 1994, and guidelines issued by the deputy conservator of forest, (HQ)/member secretary, Tree Authority for pruning of trees under the Act. The HC observed that a detailed assessment of "activity done by the RWA needs to be carried out" and pruning has to be "stopped right away".

Justice Waziri appointed advocate Aditya N Prasad as amicus curiae to assess the situation at the site and assist the court.

Appearing for the petitioners, senior advocate Vivek Sibal, relying upon Delhi Preservation of Trees Act, argued that the "essential part of preservation is that a tree should not be damaged in a manner, which would impede its growth..." **ENS**

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली। शुक्रवार • 10 मार्च • 2023 राष्ट्रीय सहारा ----------DATED----------

डीडीए के विध्वंस से बेघर पीड़ितों को तुरंत मुआवजा मिले चौ. अनिल

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि डीडीए और केजरीवाल सरकार गलती के कारण 30-40 वर्षों से महरौली में रह रहे निवासियों पर डीडीए ने बुलडोजर चलाकर 5 दिन तक विध्वंस अभियान चलाया। हाई कोर्ट द्वारा तोड़फोड़ रोकने के नोटिस के बाद उपराज्यपाल के तोड़फोड़ पर रोक लगाने का आदेश के बावजूद पांचवे दिन भी तोड़फोड़ हुई। उन्होंने कहा कि दिल्ली कांग्रेस डीडीए द्वारा महरौली में चले बुलडोजर से बेघर हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने और पूर्ण मुआवजे की मांग करती है, क्योंकि सरकार की गलत डिमार्केशन के कारण उन्हें उजाड़ा गया है।

■ तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की जाए

उन्हेंने ने कहा कि क्या यह संभव है कि महरौली की रजिस्ट्री जमीन पर बने मकानों की जानकारी डीडीए के पास नहीं होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा गलत डिमार्केशन के कारण रजिस्ट्री वाली जमीन पर तोड़फोड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। क्योंकि डिमार्केशन व रजिस्ट्री दोनो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते है और डीडीए उपराज्यपाल के अधीनस्थ हैं। सरकारी विभागों की गलती का भुगतान जनता क्यों भुगते। बेघर हुए लोगों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए डीडीए तुरंत उनके मकानों को बनाने के लिए मुआवजा दें।